2026:AHC:209131

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL REVISION No. - 3145 of 2024

Asik Ali

.....Revisionist(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Revisionist(s)	:	Ramesh Chandra, Babloo Pant, Saksham Srivastava
Counsel for Opposite Party(s)	:	Tawvab Ahmed Khan, G.A.

Court No. - 84

HON'BLE LAKSHMI KANT SHUKLA, J.

1. Heard Mr. Yasharth Srivastava, Advocate holding brief of Mr. Saksham Srivastava, learned counsel for the revisionist and learned A.G.A. for the State. No one appears on behalf of O.P. No. 2.

2. Learned counsel for the revisionist submitted that matter was referred to the Mediation and Conciliation Center, High Court, Allahabad, wherein the revisionist and O.P. No. 2 have settled their dispute. As per settlement deed arrived between the parties on 12.05.2026, paragraph no. 7 of the aforesaid settlement agreement is relevant. It is thus contended that in view of above, he present criminal revision may be allowed by this court.

3. Learned A.G.A. for the State has no objection to the aforesaid prayer.

4. Paragraph No. 7 of the settlement agreement dated 12.05.2026 is reproduced herein under:

"अंतरिम समझौता दिनांक 17.02.2026, 17.03.2026 एवं 21.04.2026 के अनुसरण में आज पक्षकारों के मध्य में निम्नलिखित समझौता सम्पन्न हुआ है:-

क. यह कि मध्यस्थता में बातचीत के दौरान दोनों पक्षकारों ने यह कथन किया है कि वे आपसी सहमति अपने पिछले सभी विवादों और मतभेदों को भुलाकर पुन: एक साथ पति-पत्नी के रूप में प्रेम-पूर्वक एक साथ रह रहे है तथा आगे भी पति-पत्नी के रूप में साथ रहेंगे एवं एक-दूसरे के प्रति सभी वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा कोई ऐसा कृत्य नही करेंगे जिससे कि किसी भी पक्ष को मानसिक व शारीरिक रूप से कष्ट / पीड़ा हो।

ख. यह कि पति ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्री का देखभाल करेंगे और भविष्य में सभी आवश्यकताओं और सुविधाओं को प्रदान करेंगें तथा पत्नी ने भी यह स्वीकार किया है कि इस समझौता के अनुसार वह भी अपने पति, पुत्र व पुत्री की देखभाल करेंगी एवं अपने ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी।

ग. यह कि पक्षकारों के मध्य यह भी सहमति हुई है कि दोनों पक्षकारों के परिजन/सगे-संबंधी उनके शांतिपूर्ण दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

घ. यह कि पक्षकारों के मध्य यह भी तय हुआ है कि पक्षकारों अथवा उनके परिजनों ने एक-दूसरे के विरुद्ध इस वैवाहिक वाद के संदर्भ में जितने भी वाद (*civil & criminal)* दाखिल किये है, वे उन समस्त वादों को संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए समाप्त/वापस करा लेंगे।

ङ. यह कि पक्षकारों के मध्य यह भी सहमति बनी है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध इस वैवाहिक वाद के संदर्भ में कोई नया वाद दाखिल नहीं करेंगे।"

5. In view of above, it is clear that no dispute remains between the parties and accordingly, the present criminal revision deserves to be allowed in the light of aforesaid settlement agreement.

6. It is accordingly **allowed**.

7. The impugned judgement and order dated 16.03.2024 passed by the Principal Judge, Family Court, Hapur in Maintenance Case No. 318 of 2020, under Section 125 Cr.P.C. is hereby set aside.

8. Paragraph No. 7 of settlement agreement dated 12.05.2026 shall be part of this judgment.

(Lakshmi Kant Shukla,J.)

October 6, 2026
RPD

Digitally signed by :-
RATAN PRAKASH DWIVEDI
High Court of Judicature at Allahabad